

५/६/१९

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के वकिल उप०।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 535/161 रकबा 32.06 बीघा, मौजा- निम्बला, पटवार हल्का- निम्बला, भु- अभिलेख निरीक्षक- निम्बला, तह० शिव में भूमि आई हुई है।

प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 04 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए।

अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 04 के सम्मन तामिल हो गए है। सम्मन तामिल होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

नम्बर व ताशिर  
अहकाम जो  
दुकाम की तामील

– आदेश –

अतः थाना राम पुत्र दीपाराम, जाति- सुथार, नि० मौखाब, तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 535/161 रकबा 32.06 बीघा, मौजा- निम्बला, पटवार हल्का- निम्बला, भु- अभिलेख निरीक्षक- निम्बला, तह० शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :-107/2019


क्रमांक/आवेदन/19/ 2578

दिनांक- 4/6/19

प्रार्थी वनाग विप्रार्थीगण  
थानाराम पुत्र दीपाराम, जाति- सुथार, खुमाणसिंह पुत्र वीरगसिंह वगैरा (04)  
नि० मौखाब, तह० शिव  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 535/161 रकबा 32.06 बीघा, मौजा - निम्बला, पटवार हल्का- निम्बला, भू- अभिलेख निरीक्षक- निम्बला, तह० शिव के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीश्नर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीश्नर प्रार्थी के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/ 2569-74

दिनांक- 4/6/19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बला को सूचनार्थ।
3. हल्का पटवार निम्बला को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बला द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी थानाराम पुत्र दीपाराम को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण खुमाणसिंह पुत्र वीरमसिंह वगैरा (04) को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

